न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 56 / 2022

श्रीमति लतादेवी पत्नी बलवीर कुमार राठोड जाति तेली निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
.....प्रार्थीया

बनाम

1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय जिला कलेक्टर चितौडगढ़
2. श्रीमान जिला वनाधिकारी महोदय विभाग चितौडगढ़
3. श्रीमान रेन्जर साहब वन विभाग बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ़
4. श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार साहब, तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ
.....विपक्षीगण

उपस्थित :– श्री सत्यनारायण ईनाणी
अधिवक्ता प्रार्थीया
श्री विजय प्रकाश शर्मा
अधिवक्ता वन विभाग

आदेश दिनांक :– 18.02.2026

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र इस प्रकार से है कि प्रार्थीया ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राज. टिनेन्सी एक्ट बाबत स्थाई निषेधाज्ञा घोषणा का पेश किया है जिसके निस्तारण में समय लगने की संभावना है मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षी सं0 2 व 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश है।

यह कि मूल वादिया के नाम खातेदारी की भूमि ग्राम गलिया बावडी पटवार हल्का रामपुरिया के जमाबन्दी चौसाला आधार वर्ष संवत 2078 वर्ष 2021 में खाता संख्या नया 121 एवं पुराना खाता 177 में आराजी संख्या 519 / 293 रकबा 0.6900 हैक्टर लगानी 1.71 किस्म बीड खातेदारी हक से दर्ज होकर मौके पर काश्त की जा रही है।

यह कि ग्राम गलिया बावडी पटवार हल्का रामपुरिया की बिलानाम आराजी संख्या 293 मीन रकबा 0.2500 हैक्टर किस्म बंजड एवं आराजी संख्या 518 / 293 रकाब 0.780 हैक्टर किस्म बीड कुल रकबा 1.0300 हैक्टर में वर्ष 2016 से 2019 से मूल वादिया का मौके पर नाजायज कब्जे काश्त में होकर मौके पर काश्त कर रही हूँ। यह कि बिन्दु सख्या 1 व 2 की आराजी मूल वादिया के कब्जे काश्त में होकर काश्त कर रही हूँ ।

यह कि बिन्दु संख्या 1 मेरे खातेदारी की आराजी व बिन्दु संख्या 2 बिलानाम नाजायज कब्जे वाली आराजी को वन विभाग द्वारा अपने खाते की होना बताकर आये दिन वन विभाग के कर्मचारी मुझे परेशान कर रहे है तथा मेरी बोई हुई फसल में मवेशी छोड देते है। बिन्दु संख्या 1 व 2 आराजी वन विभाग के खाते की नही है। जबकि वन विभाग के नाम ग्राम गलियाबावडी पटवार हल्का रामपुरिया जमाबन्दी संख्या 2078 मे वनविभाग की भूमि आराजी संख्या 520 / 293 रकबा 38.910 हैक्टर किस्म वन अंकित है।

यह कि वाद पत्र. के बिन्दु संख्या 1 व 2 में अंकित आराजी मूल वादिया के खातेदारी एवं बिलानाम होते हुए एवं बिन्दु संख्या 2 व 3 की आराजी वन विभाग के नाम दर्ज नहीं होते हुए भी मूल वादिया को फसल काश्त हेतु परेशान किया जा रहा है।

यह कि श्रीमान से निवेदन है कि वाद पत्र के निस्तारण में समय लगने की संभावना होने से प्रार्थना पत्र 212 राज.टिनेन्सी एक्ट स्वीकार फरमाया जाकर वादीया के कब्जे काश्त की आराजी जो कि आराजी वाद पत्र के एवं प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 व 2 में अंकित है मे प्रतिवादी (अप्रार्थी) 2 व 3 किसी प्रकार की दखलंदाजी पैदा नही करे एवं शांन्ती पूर्वक काश्त करने देने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से ता फैसला वाद पाबंद फरमाया जावें।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

प्रार्थना पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर वाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को तलब किया गया, विपक्षी संख्या 2 व 3 की ओर से मूल वाद में अधिवक्ता श्री विजयप्रकाश शर्मा द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत करते हुए इस प्रार्थना पत्र का जवाब इस प्रकार से पेश किया कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 गलत होकर अस्वीकार है वादिया/प्रार्थीया के असत्य कथनों पर वाद पेश किया है जो काविल खारिज योग्य होने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 गलत होकर अस्वीकार है प्रार्थी का कही कोई कब्जा व भूमि तरमीम नहीं है प्रार्थीया ने गलत तथ्य दर्शाये है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 में वर्णित भूमि राजाकीय भूमि है जिस पर प्रार्थीया का कोई कब्जा नहीं है प्रार्थीया ने गलत तथ्य अंकित किये है। कलम संख्या 4 गलत होकर अस्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 5 गलत होकर अस्वीकार है वन विभाग व राजकीय भूमि पर प्रार्थीया का कोई हक अधिकार नहीं है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 6 गलत होकर अस्वीकार है, प्रार्थीया का कही कोई कब्जा नहीं है प्रार्थीया अनाधिकृत रूप से वन भूमि एवं राजकीय भूमि पर कब्जा करना चाहती है जिसका प्रार्थीया को कोई हक अधिकार नहीं है।

यह कि प्रार्थीया का ग्राम गलिया बावडी में कही कोई कब्जा नहीं है प्रार्थीया उक्त प्रार्थना पत्र व वाद पत्र.. की आड में राजकीय भूमि वन भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा करना चाहती है इसलिए कानूनन प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। यह कि कानूनन राजकीय भूमि पर प्रार्थीया का कोई हक अधिकार नहीं होने से प्रार्थीया राजकीय भूमि पर स्वयं प्रार्थीया बनकर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के आवश्यक तथ्यों का कही कोई उल्लेख नहीं किये जाने से भी प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र कब्जे के अभाव में एव विधि विपरित होने से खारिज फरमाया जावें।

जवाब प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट का प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्ष की ध्यानपूर्वक सुनी गई अधिवक्ता प्रार्थीया ने अपनी बहस प्रार्थना पत्र अनुसार करते हुए विपक्षी संख्या 2 व 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया जबकि अधिवक्ता विपक्षीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीया को बिलानाम भूमि पर कब्जा होने का कथन विधि विपरित है, प्रार्थीया बिलानाम भूमि के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने की अधिकारणी नहीं है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्ष की सुने जाने के पश्चात पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया, दस्तावेज का उल्लेख करते हुए प्रार्थना पत्र निस्तारण हेतु तीन मुख्य बिन्दुओं पर निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता हैः—

1— <u>प्रथम दृष्टया मामला</u> :—

प्रार्थना पत्र पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी मौजा गलियाबावडी प0ह0 रामपुरिया संवत 2078. का अवलोकन किया गया जमाबंदी में अकित आराजी संख्या 519/293 रकबा 0.6900 हैक्टर भूमि के खातोदार प्रार्थीया लता पत्नि बलवीर कुमार दर्ज अंकित है। लेकिन जमाबंदी मोजा गलिया बावडी की आराजी संख्या 520/290 रकबा 28.910 हैक्टर भूमि जो कि वन विभाग की भूमि है, प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि गलिया बावडी की बिलानाम आराजी संख्या 293मीन रकबा 0.2500 हैक्टर किस्म बंजड एवं आराजी संख्या 518/293 रकाब 0.780 हैक्टर किस्म बीड कुल रकबा 1.0300 हैक्टर पर नाजायज कब्जा होने का कथन अंकित करते हुए बिलानाम भूमि के लिए भी विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जबकि बिलानाम भूमि पर कब्जा होना अवैध अतिक्रमण होता है जिसके लिए प्रार्थीया अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं रखती है। प्रार्थीया केवल अपने खातेदारी की भूमि के लिए ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

रने का अधिकार रखती है, चूँकि प्रार्थीया द्वारा बिलानाम भूमि के लिए भी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया है जो कि विधि विरूद्ध है। इस प्रकार प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया प्रकरण सिद्ध नहीं होता है।

2– सुविधा का संतुलन :–

प्रार्थना पत्र वर्णित मौजा गलिया बावडी की आराजी संख्या 519/293 रकवा 0.6900 हैक्टर भूमि की खातेदार है लेकिन प्रार्थीया ने बिलानाम भूमि पर भी उनका कब्जा होने का कथन करते हुए अपने खातेदारी की भूमि एवं बिलानाम भूमि पर कब्जे वाली भूमि के लिए विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जबकि विपक्षीगण ने अपने जवाब में प्रार्थीया का कब्जा नहीं होना अंकित किया है, प्रार्थीया ने कब्जे होने के सम्बन्ध में कोई अन्य शपथ पत्र भी पत्रावली मे प्रस्तुत नहीं किये है, यदि प्रार्थीया का कब्जा अपने खातेदारी की भूमि पर हो तो भी प्रार्थीया बिलानाम भूमि के लिए जो कि उनके खाते की भूमि ही नहीं है के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगण को पाबंद नही करा सकती है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

3– आर्थिक क्षति :–

प्रार्थना पत्र वर्णित मौजा गलिया बावडी की आराजी संख्या 519/293 रकबा 0.6900 हैक्टर भूमि की खातेदार है लेकिन प्रार्थीया ने बिलानाम भूमि पर भी उनका कब्जा होने का कथन करते हुए अपने खातेदारी की भूमि एवं बिलानाम भूमि पर कब्जे वाली भूमि के लिए विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, प्रार्थीया को बिलानाम भूमि के लिए किस प्रकार आर्थिक क्षति होगी यह तथ्य स्पष्ट नहीं किया है। इस प्रकार यह बिन्दु भी प्रार्थीया के पक्ष में सिद्ध नहीं हुआ है।

प्रार्थना पत्र निस्तारण हेतु प्रतिपादित मुख्य तीनो ही बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में सिद्ध नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का सिद्ध नहीं होने से एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 18.02.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

सत्यमेव जयते